न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 38/2015 **दायरा दिनांक : 01.05.2015**

उनवान

मंदिर महादेव जी खमला जर्ये पुजारी शम्भूपुरी पुत्र ऊंकारपुरी, जाति गुसाई, निवासी खमला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कालीबाई पुत्री शंकर, जाति चारण, निवासी खमला हाल मुकाम खटखट उसार, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2— पप्पू आत्मज कालू, जाति चारण, निवासी खमला हाल निवासी चडी गुल्ला, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

3— अमरी बाई बेवा कालू, जाति चारण, निवासी खमला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.07.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 205/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट्स के खिलाफ एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 बाबत घोषित किये जाने खातेदार वादी श्री मंदिर महादेव जी खमला को बाबत खसरा नम्बर 92 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 93 रकबा 19 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा किया था तथा जो जमाबंदी में उपकृषक शंकर, कालू पिसरान धन्ना का नाम गलततौर से दर्ज है उसे रद्द करने बाबत पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीहात कायम की जिस पर अपीलांट तथा रेस्पोडेंट की आरे से साक्ष्य पेश की गई एवं दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकी वाईज निर्णय पारित किये अपीलांट वादी का दावा खारिज फरमा दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य के खिलाफ है, जिस कारण निर्णय अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी वाईज निर्णय पारित नहीं किया जिस कारण निर्णय कानून सम्मत निर्णय की तारीफ में नहीं आता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आयी साक्ष्य का कोई विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया है जिस कारण निर्णय मनमाना है परवर्स है एवं कप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर प्रदर्श–2 में ऊँकारपुरी का नाम अंकित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समुचित अवलोकन कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.11.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा